



न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या-110/2014-15

महतबिया देवी वगैरह बनाम बसंती देवी

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
22/5/18	<p style="text-align: center;"><u>आंशिक संशोधन आदेश</u></p> <p>विपक्षी बसंती देवी की ओर से दिनांक 19.05.2018 को आवेदन दाखिल किया गया। विपक्षी के आवेदन का अवलोकन किया। आवेदन में विपक्षी द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त वाद में दिनांक 31.03.2018 को पारित आदेश के पृष्ठ-4 के कंडिका-4(II) के पंक्ति-1 में आवेदक के स्थान पर टंकण भूलवश विपक्षी टंकित हो गया है। जिसे संशोधित करते हुए, विपक्षी के स्थान पर आवेदक टंकित किया जाय।</p> <p>सिविल-प्रक्रिया संहिता-1908 के धारा-152 एवं 153 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में विपक्षी के अनुरोध आवेदन पर विचारोपरान्त उक्त वाद में दिनांक 31.03.2018 को पारित आदेश के पृष्ठ-4 के कंडिका-4 के पंक्ति-17 में टंकित विपक्षी के स्थान पर आवेदक किया जाता है।</p> <p>अतएव दिनांक 31.03.2018 को पारित आदेश के पृष्ठ-4 के कंडिका-4 के पंक्ति-17 पर टंकित विपक्षी के स्थान पर आवेदक पढ़ा जाय।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               (वजैन उद्दीन अंसारी)              अपर समाहर्ता, पटना         </div> <div style="text-align: center;">               (वजैन उद्दीन अंसारी)              अपर समाहर्ता, पटना         </div> </div>	